न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 453/16 **निर्णय दिनांकः—12.11.2018**

1. भूराराम पुत्र रूधनाथराम जाति बिश्नोई निवासी बज्जू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22—09—2009
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 22—09—2009 जिसके द्वारा अपीलांट का मोहरबन्द आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 19 बीएसडी के मुरब्बा नबर 27/57 के मोहरबन्द आवंटन हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मोहरबन्द आवंटन हेतु प्रार्थना

पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ धरोहर राशि रूपये 5000/— जमा करवा दी गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22—09—2009 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त भूमि पर राजस्व मण्डल, अजमेर का स्थगन आदेश है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। जबकि राजस्व मण्डल, अजमेर का स्थगन आदेश मुरब्बा नम्बर 27/57 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा भूमि पर ही था शेष भूमि अर्थात किला नम्बर 16 ता 25 पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था तथा उक्त 10 बीघा भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त 10 बीघा भूमि के आवंटन का पात्र था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—09—2009 के विरूद्व अपील दिनांक 15—02—12 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबे पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का स्थगन होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—09—2009 कके विरूद्व अपील 15—02—2012 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर मोहरबन्द आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए वादगत् भूमि चक 19 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 27/57 में 25 बीघा भूमि के आवंटन की इस्तदुआ की गई।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष दिवाये खॉ पुत्र गायड़ खॉ निवासी चक 19 बीएसडी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष जैरकार प्रकरण संख्या 5765/2005 के अनुसार वादगत् भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का स्थगन होने के कारण वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(4) चूंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबे पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा ना तो अधिनस्थ

न्यायालय ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि के बाबत् माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश वैकेट किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब तक वादगत् भूमि के बाबत् उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी रहता है, तब तक उक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनाक 22—09—2009 यथावत बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर